

राजस्थान सरकार  
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(3)/प्राध्यापक/2021/

जयपुर, दिनांक:

**आदेश**

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित प्राध्यापक (संस्कृत शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक एफ.6 ए(02) परीक्षा 'क' / प्राध्यापक(संस्कृत शिक्षा) / हिन्दी / RPSC / 2022-23 / 937 दिनांक 20.10.2023 द्वारा प्राप्त अभिस्तावना के क्रम में राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम 2015 के नियम 6 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्राध्यापक-हिन्दी) के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है-

- उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1) एफडी/रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार 31,100/- (L-12) अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक मान0 उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा। पहले ही राज्य सरकार की नियमित सेवा में कार्यरत एवं चयनित अभ्यर्थियों का वेतन राजस्थान सेवा नियम 24 के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुज्ञात किया जायेगा।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
- यह नियुक्ति राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन है।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशनर ट्रेनी) की अवधि में आरजीएचएस एवं सामान्य प्रावधानी निधि की कटौती होगी परन्तु राज्य बीमा की कटौती नहीं होगी।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशनर ट्रेनी) की अवधि में इन्हें कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9) एफ.डी.(रुल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
- दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण राजस्थान सेवा नियम 26 के अनुसार प्राध्यापक की पे-मेट्रिक्स लेवल-12 में किया जायेगा।

**प्राध्यापक-हिन्दी**

S. No.	MERIT NO	PHOTO	NAME	Father's Name	G	DOB	Category	Sel. Categor	Spe. Cate.	STATUS	Home Dist.	Name of School	P.S.	Dist.
1	1		JAI PRAKASH JYANI	JAGDISH JYANI	M	20-Oct-98	BC	GENM			BIKANER	रा.वरि.उपा.सं.वि., 23 बी.बी. पदमपुर,	पदमपुर	श्रीगंगानगर
2	2		JAI KUMAR	RAMESH CHAND	M	12-Jun-91	BC NG BC GENM				DHOLPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., सरमथुरा,	सरमथुरा	धौलपुर

Signature valid

Digitally signed by Surish Kumar  
Ola  
Designation : Commissioner  
Date: 2024.02.02 17:22:31 IST  
Reason: Approved





3	3	 Buddha Dan	BUDDHA DAN	NARAYAN DAN	M	26-Nov-97	BC	GENM			BARMER	रा.वरि.उपा.सं.वि., बोरावास,	बालोतरा	बालोतरा
4	4	 Priyanka Bai	PRIYANKA BAI	BIRENDRA SINGH YADAV	F	13-Dec-96	BC, WE	GENF			ALWAR	रा.वरि.उपा.सं.वि., नौगांवा,	राजगढ	अलवर
5	5	 Khyali Ram Saini	KHYALI RAM SAINI	JAGDISH PRASHAD SAINI	M	15-Jul-90	BC	GENM			JHUNJHUNU	रा.वरि.उपा.सं.वि., चिराणा,	नवलगढ	झुंझुनू
6	6	 Dashrath Kumar Yadav	DASHRATH KUMAR YADAV	HANUMAN PRASAD YADAV	M	01-Jan-91	BC, RG	GENM			TONK	रा.वरि.उपा.सं.वि., गलोद,	पीपलू	टोंक
7	7	 Narsinga Ram	NARSINGA RAM	PEERA RAM	M	15-Nov-95	BC	GENM			BARMER	रा.वरि.उपा.सं.वि., बायतू स्टेशन,	बायतू	बालोतरा

Signature valid

RajKaj Ref  
5455966

Digitally signed by Surash Kumar

Ola

Designation : Commissioner

Date: 2024.02.02 17:22:31 IST

Reason: Approved

8	8	 DINESH KUMAR	GANPAT RAM	M	05-May-96	BC	GENM		JALORE	रा.वरि.उपा.सं.वि., कूकणों की ढाणी-घटियाली,	घटियाली	फलौदी
9	9	 KUSUM KUMARI VAISHNAV	TULASI DAS VAISHNAV	F	02-Feb-80	BC, WE, RG	GENF		UDAIPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., सवीना खेड़ा,	गिर्वा	उदयपुर
10	10	 MAMTA DEVANDA	JAGDISH PRASAD	F	03-Nov-92	BC, WE	OBCM		JAIPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., विराटनगर,	विराटनगर	जयपुर ग्रामीण
11	11	 JETHA RAM	KUMBHA RAM	M	10-Jul-85	BC	OBCM		BARMER	रा.वरि.उपा.सं.वि., पोकरण,	साकडा	जैसलमेर
12	12	 TOLA RAM JAKHAR	TEJARAM JAKHAR	M	08-Jul-88	BC	OBCM		BIKANER	रा.वरि.उपा.सं.वि., बेवड़,	राजगढ़	चुरू

RajKaj Ref  
5495960

Signature valid

Digitally signed by Surash Kumar

Ola

Designation : Commissioner

Date: 2024.02.02 17:22:31 IST

Reason: Approved



13	13	 Reshma Kanwar	RESHMA KANWAR	NARPAT SINGH	F	24-Nov-93	GE,WE,EWS	EWSM	एकल	NAGAUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., मोगास,	डेगाना	नागौर
14	14	 Damara Ram	DAMARA RAM	PURKHA RAM	M	05-Aug-94	MB	MBCM		JALORE	रा.वरि.उपा.सं.वि., 95 आरडीएस एलडी सुल्ताना	मोहनगढ़	जैसलमेर
15	15	 Rani	RANI DEVI	MAG SINGH	F	24-Nov-90	GE,WE,EWS	EWSM		JODHPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., शेरगढ़,	शेरगढ़	जोधपुर ग्रामीण
16	16	 Pinki	PINKI MEENA	RAMPRATAP MEENA	F	16-Sep-97	ST,WE	STM	एकल	JAIPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., कोटपुतली,	कोटपूतली	कोटपूतली बहरोड
17	17	 Rajendra Kumar	RAJENDRA KUMAR	PRITHVI RAJ	M	24-May-85	SC	SCM		HANUMANG ARH	रा.वरि.उपा.सं.वि., साबूवाना,	टिब्बी	हनुमानगढ़

RajKaj Ref  
5495960

Signature valid

Digitally signed by Surish Kumar

Ola

Designation : Commissioner

Date: 2024.02.02 17:22:31 IST

Reason: Approved

18	18	 सुरेश	SURESH CHAND MEENA	KALUVA RAM MEENA	M	06-Feb-92	ST	STM			DAUSA	रा.वरि.उपा.सं.वि., तलाबगांव,	लालसोट	दौसा
19	19	 Kamallesh	KAMALESH KUMARI DHANWANTA	JAGADISH PRASAD DHANWANTA	F	14-May-94	SC, WE	SCF			ALWAR	रा.वरि.उपा.सं.वि., पाली,	रैणी	अलवर
20	20	 लक्ष्मी	LAXMI CHOUHARY	AMARA RAM CHOUHARY	F	31-Oct-82	BE, WE, LD, RG	OBCF	LD		BIKANER	रा.वरि.उपा.सं.वि., शेखसरबास खोडाला,	लूणकरणसर	बीकानेर
21	21	 Mukesh	MUKESH KUMAR TAK	HARJI RAM TAK	M	01-Jun-90	SC, RG	SCM			AJMER	रा.वरि.उपा.सं.वि., कुण्डगोट सांवर,	सावर	केकडी
22	22	 दुर्गाराम सारगारा	DURGA RAM SARGARA	SHRI RAM	M	15-Dec-96	SC	SCM			JODHPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., चौद्धा,	बिलाडा	जोधपुर ग्रामीण

Signature valid

RajKaj Ref  
5495960

Digitally signed by Surash Kumar






Ola

Designation : Commissioner

Date: 2024.02.02 17:22:31 IST

Reason: Approved



23	23		RICHHPAL	MADHU RAM MEGHWAL	M	01-Jan-93	SC	SCM			NAGOUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., लाम्बा जाटान,	मेडता	नागौर
24	24		HANUMAN RAM	BHURA RAM	M	06-Dec-94	SC	SCM			BIKANER	रा.वरि उपा.सं.वि., 35 एमओडी,	पीलीबंगा	हनुमानगढ़
25	25		BADAM MEENA	RAMJILAL MEENA	F	14-Jan-98	ST, WE	STM		एकल	SAWAIMAD HOPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., जस्टाना,	बौली	सवाईमाधोपुर
26	27		RAMESH BAI MEENA	RAM DHAN MEENA	F	06-Jun-85	ST, WE, RG	STF			SAWAIMAD HOPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., नई बस्ती सुकार,	बामनवास	गंगपुर सिटी
27	28		SAVITA GAUR	HUKMI CHAND GAUR	F	15-Sep-84	GE, WE, WD, RG, EWS	GENF	WD		JODHPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., कुडी भगतासनी आवासन- मण्डल,	लूणी	जोधपुर ग्रामीण

Signature valid

RajKaj Ref

Digitally signed by Suresh Kumar

Designation : Commissioner

Date: 2024-02-02 17:22:31 IST

Reason: Approved

संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी/संकुल प्रभारी आदेश अंकित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही के रूप से सम्पादित करेंगे-

1. आवेदन पत्र में चस्पा फोटो को स्कैन कर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश में अंकित किया गया है। इस आदेश में अंकित फोटो एवं हस्ताक्षर का कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अभ्यर्थी ने आयोग की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने के लिए आयोग के कार्यालय में प्रस्तुत होना चाहिए।



2. उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अंजमेर द्वारा/सम्यक सत्यापन के पश्चात् स्वीकृत जन्मतिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
3. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत (समान पद न हो) कार्मिक के विधिवत कार्यमुक्त होकर आने पर यह आवश्यक नहीं होगा।
4. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावे। दस्तावेज मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रिमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित यदि कोई अभ्यर्थी क्रिमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के पर जारी किया हुआ होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित महिला आवेदकों में मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु महिला अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थी का आवेदन पत्र के साथ संलग्न अथवा पात्रता जांच के समय आयोग को प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र यदि 1 वर्ष से पुराना हो तो ऐसा अभ्यर्थी उक्तानुसार संलग्न/प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र के पश्चात् से कार्यग्रहण करते समय तक क्रिमिलेयर की श्रेणी में नहीं रहा/आया हो इसकी पुष्टि हेतु नवीन प्रमाण पत्र अथवा इस बाबत शपथ पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्यग्रहण कराया जावे।
8. एम.बी.सी. में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत ओबीसी प्रमाण पत्र में उनकी जाति (1-बंजारा, बालदिया, लबाना, 2-गाडिया लोहार व गाडोलिया, 3-गूजर, गुर्जर, 4- राईका, रेबारी (देबारी), 5- गडरिया (गाडरी), गायरी) अंकित होने पर मान्य होगा परन्तु वर्तमान में एम.बी.सी. का अभ्यर्थी होने एवं उक्त प्रमाण पत्र शीघ्र बनवाकर प्रस्तुत करने की वचनबद्धता अवश्य प्राप्त करें।
9. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) में आवेदित अभ्यर्थी के पास राजस्थान के मूल निवासी के साथ-साथ सामान्य श्रेणी (राजस्थान राज्य के मूल निवासी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अतिपिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की विद्यमान स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं) का जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। इस श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों हेतु कार्मिक (क-गुप-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 के प्रावधान लागू होंगे।
10. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी की पात्रता, वर्ग, आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवे।
11. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/-रु० के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
12. कार्यग्रहण कराने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए-II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का शपथ पत्र 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
13. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
14. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।
15. राज्य के बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अधधीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताएं वैध व मान्य पाये जाने की स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
16. अभ्यर्थी से प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित करने वाले संस्थान की परीक्षा उत्तीर्ण सत्र की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी किये गए संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्याम्भ करावे।

Signature valid

Digitally signed by Surash Kumar

Designation : Commissioner

Date: 2024.02.02 17:22:31 IST

Reason: Approved

17. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

इन्हें उक्त नियुक्ति उपरान्त पदस्थापित स्थान पर दिनांक- 13.02.2024 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी के संबंध में यह नियुक्ति/पदस्थापन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना तत्काल अथवा कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की सूचना निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात तत्काल कार्यालय की ई-मेल sans.lect.2022@gmail.com पर प्रेषित कर उसकी प्रति डाक द्वारा भिजवाने की व्यवस्था करें।

(सुरेश कुमार ओला)

आयुक्त

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

जयपुर, दिनांक:

क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(3)/प्राध्यापक/2021/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं-

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान् सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. श्रीमान् शासन उप सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जिला .....
6. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी जयपुर/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर (बूरो)/कोटा/उदयपुर/भरतपुर।
7. संबंधित प्रधानाचार्य, रादरिउपासवि को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थी के कार्यारम्भ करते ही इसकी सूचना अविलम्ब संभाग एवं निदेशालय में भिजवायें।
8. संबंधित अभ्यर्थी।
9. संरक्षण पंजिका।

आयुक्त

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

Signature valid

RajKaj Ref  
5495960

Digitally signed by Surish Kumar  
Ola  
Designation : Commissioner  
Date: 2024.02.02 17:22:31 IST  
Reason: Approved